



Neutral Citation No. - 2026:AHC:172018

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 8320/2026

अमर सिंह

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अतुल कुमार तिवारी, मंदीप सिंह, शनि कुमार,
यशवीर सिंह राणा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- सुना गया। आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 54 वर्ष 2026, अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3) एवं 340(2) बी.एन.एस., थाना डिबाई, जनपद बुलंदशहर में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त उल्लिखित प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक विवादित संपत्ति का प्रतिफल देकर सद्भावपूर्वक क्रेता है। यह कहा गया है कि एक फर्जी विक्रय विलेख कथित रूप से सह-अभियुक्त दीप चंद द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जबकि उक्त संपत्ति सह-अभियुक्त दीप चंद की माता द्वारा, जब वह वर्ष 2002 में नाबालिग था, पहले ही सूचनाकर्ता को विक्रय की जा चुकी थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि विवादित संपत्ति के संबंध में सिविल वाद संख्या 361 वर्ष 2025 सूचनाकर्ता सोरन सिंह एवं अन्य के विरुद्ध सह-अभियुक्त दीप चंद द्वारा संस्थित किया गया है, जो लंबित है। विवाद प्रथमदृष्टया सिविल विवाद प्रतीत होता है। आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों पर विवादित संपत्ति के संबंध में अपने दावे को छोड़ने हेतु दबाव बनाने के उद्देश्य से इसे केवल आपराधिक प्रकरण का रंग दिया जा रहा है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तथ्यों संबंधी कथन का खंडन नहीं किया है।

6- सह-अभियुक्त अमर सिंह एवं भगवान सिंह को इस न्यायालय द्वारा धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत **आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 7642 वर्ष 2026 एवं 7690 वर्ष 2026** में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का दावा है कि वह सद्भावपूर्वक क्रेता है। विवादित संपत्ति के संबंध में एक सिविल वाद लंबित है।

7- प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूं।

8- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9- आवेदक **अमर सिंह** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करे तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

i- आवेदक जब भी आवश्यक हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii- आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

10- उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

14 अगस्त, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।